न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 10/2016

अपीलार्थीपक्ष

मदनलाल पारख पुत्र स्व0 हस्तीमल पारख, जाति ओसवाल, निवासी– 1302, पावटा बी रोड़, जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीपक्ष

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।
2. भू–अधिग्रहण अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सर्किल प्रथम, जोधपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डिविजन प्रथम, जोधपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।

प्रथम भू–राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तरकरण संख्या 320 ग्राम डांगियावास तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर जो दिनांक 01.11.1977 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध।

– – –

उपस्थिति :–

1. श्री लक्ष्मीनारायण गहलोत अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)।
2. विभागीय प्रतिनिधि (प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4)।

–: आदेश :– दिनांक :–24.02.2020

अपीलार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामान्तकरण संख्या 320 दिनांक 01.11.1977 ग्राम डांगियावास जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत हुई। अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम डांगियावास, तहसील व जिला जोधपुर में अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं 223, 223/1 रकबा 35.07 बीघा आई हुई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी की जमीन में से 3.05 बीघा बिना अवाप्ति की घोषणा, सूचना व मुआवजे के रेस्पोडेन्ट ने सड़क के लिए डांगियावास से बावरला की सड़क के लिए लेकर 3.05 बीघा भूमि कम कर नामान्तकरण संख्या 320 दिनांक 01.11.1977 को स्वीकृत कर दिया, से व्यथित होकर अपील मीमो मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा यह अपील सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां प्रस्तुत की जो दिनांक 17.10.2014 को दर्ज रजिस्टर की गई। श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश क्रमांक–112 दिनांक 28.01.2016 द्वारा इस न्यायालय को सुनवाई हेतु मुंतकिल की गई है। पत्रावली प्राप्त होने पर अपील

मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश होने के पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम डांगियावास तहसील जोधपुर में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 223, 223/1 कुल रकबा 35.07 बीघा में से 3.05 बीघा भूमि बिना अवाप्त व सूचना एवं बिना मुआवजे व बिना सहमति से सड़क का निर्माण कर लिया। इसकी जानकारी होने पर उसने तुरन्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अवगत कराया और उसका उचित मुआवजा दिया जावे या इसके बदले दूसरी जमीन दी जावे। इस बाबत् पत्र दिनांक 08.5.1987 को लिखा गया था, तब से अपीलान्ट बराबर सम्पर्क करता रहा और पत्राचार भी किया लेकिन कोई उचित जवाब/मुआवजा नहीं दिया। अन्त में प्रार्थी ने एक विधिक नोटिस अपने अभिभाषक के मार्फत दिनांक 25.04.2014 को भेजा। लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला और अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण की प्रमाणित नकल प्राप्त कर दिनांक और समय अवधि में अपील पेश कर दी। अतः जानकारी तिथि से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावें। अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्याय निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

1. ए.आई.आर. 2013 एस.सी. पेज 503
2. आर.आर.डी. 1997 पेज 184
3. आर.आर.डी. 2017 पेज 584

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम डांगियावास के खसरा नं 223, 223/1 कुल रकबा 35.07 बीघा थी, उक्त खातेदारी कृषि भूमि में से 3.05 बीघा भूमि पर सड़क का निर्माण कर लिया और भूमि का नामान्तकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम स्वीकृति कर दिया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में से 3.05 बीघा भूमि को अवाप्त नहीं किया, न ही मुआवजा दिया गया और अपीलान्ट की बिना सहमति से डांगियावास से बावरला तक उसकी खातेदारी भूमि पर सड़क बना दी। अपीलार्थी को इसका ज्ञान होने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 को अवगत कराया कि बिना अपीलार्थी की सहमति से सड़क का निर्माण कैसे कर लिया और अपीलान्ट की 3.05 बीघा भूमि को अवाप्त भी नहीं किया न ही मुआवजा दिया गया। अगर भूमि की आवश्यकता है तो इसके बदले दूसरी भूमि हमें दी जावे। इस बाबत् अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 से कई बार सम्पर्क किया तथा पत्र व्यवहार भी किया लेकिन कोई संतोषपद जवाब नहीं मिला और न ही आज तक मुआवजा दिया गया। उक्त पत्राचार और बातचीत 27 वर्षो से चली आ रहा है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस व सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया और अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो प्राकृतिक न्याय से सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने निरस्त योग्य है। न ही भू–राजस्व के प्रावधान व नियमों की पालना नहीं की। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि तहसीलदार, जोधपुर से विवादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 320 ग्राम डांगियावास तहसील जोधपुर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर सड़क निर्माण होना बताया गया और खसरा नं0 223/3 गै0 मु0 सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज है। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में सड़क निकासी माफिक आदेश श्रीमान T.S. 1462 29.1.75 भरा गया। उक्त आदेश की प्रति सलंग्न नहीं है। अतः विवादग्रस्त नामान्तरकरण निरस्त किया जावें।

प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 ने लिखित में जवाब पेश कर बतलाया कि प्रस्तुत अपील 37 वर्ष देरी से पेश की है। अपीलार्थी को उपरोक्त प्रकरण की समस्त जानकारी थी लेकिन जानकारी होने के बाद भी 37 वर्ष तक कार्यवाही नहीं की। अतः इसी आधार पर ही अपील खारिज योग्य है। भूमि अधिग्रहण के मामले में दीवानी न्यायालय, राजस्व न्यायालय और अन्य न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र वर्जित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा अपीलार्थी की कोई भूमि नहीं ली गयी है। उपरोक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा जनहित में अवाप्त कर उन्हें दी गयी है। उपरोक्त भूमि पर कार्य अकाल राहत कार्य के तहत किया है जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी परन्तु राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह नहीं लिखा कि अपीलार्थी की भूमि किस जगह और कौनसी दिशा से ली गयी है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह धारा 31 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष रेफरेंस करना चाहिए। अपीलान्ट ने कोई नोटिस नहीं दिया, न ही वह 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत दिया गया है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थीपक्ष ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि प्रार्थी को उक्त नामान्तरकरण का पता चलने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 को अवगत कराया कि प्रार्थी की अपील में उल्लेखित विवादित जमीन 03 बीघा 05 बिस्वा विधि विरूद्ध ले ली है उसका वाजिब मुआवजा दिया जावे या उसके एवज में जोधपुर से डागियावास के मध्य जमीन आवंटित की जावे, का पत्र दिनांक 25.04.1987 को दिया जिसकी प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 4 व जिला कलक्टर को भी दी गई। अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 25.04.1987 से पूर्व हो गयी थी। अपीलार्थी द्वारा 27 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील में जो

विलम्ब के कारण बतलाये गये है वो सन्तोषप्रद नहीं होने से विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है। अतः अपील मियाद बाहर होने से अपील निरस्त योग्य है। द्वितीयतः तहसीलदार जोधपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 के अनुसार खसरा संख्या 223/3 की भूमि गै0 मु0 सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 320 के जरिये 3.05 बीघा भूमि गै0 मु0 सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दिनांक 01.11.1977 को स्वीकृत हुआ है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वक्त मौका निरीक्षण दरम्यान 30 फुट भू–भाग पर सड़क का निर्माण किया हुआ है एवं इतने ही भू–भाग पर सड़क निर्माण कार्य निर्माणाधीन पाया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील मे अवगत कराया कि खसरा नं0 223/3 रकबा 3.05 बीघा भूमि बिना कोई मुआवजा दिये व उसके बदले में अन्य जमीन दिये बिना आवाप्त की गई है। यदि अपीलार्थी को उसके बदले में मुआवजा या जमीन नहीं मिली है तो वह उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने से एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाये।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.03.06 12:15:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: